

[10]

एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017

अधिसूचना क्रमांक 4/2017—एकीकृत कर, दिनांक 28.06.2017-सा.का.नि. 699 (अ)-केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

नियम 1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017 है।
 - (2) ये 22 जून, 2017 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
-